



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



MIT KUMAR SHARMA
STAMP VENDOR
LICENCE No. 263

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)


: IN-UP9960914750863V
: 28-Aug-2023 03:12 PM
: NEWIMPACC (SV)/ up14708904/ AGRA SADAR/ UP-AGR
: SUBIN-UPUP1470890494804404796214V
: E NOTARIAL TICKET
: Article 42 Notarial Act
: Not Applicable
:
: E NOTARIAL TICKET
: NOTRY ADVOCET
: E NOTARIAL TICKET
: 10
(Ten only)

E-STAMPING ACC ID - UP14708904
HSIL SADAR, DISTT. AGRA



सत्यमेव जयते

710210210210



Please write or type below this line



E-NOTARIAL TICKET

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh MIT KUMAR SHARMA STAMP VENDOR LICENCE No. 263 IN-UP9960914750863V 28-Aug-2023 03:12 PM NEWIMPACC (SV)/ up14708904/ AGRA SADAR/ UP-AGR SUBIN-UPUP1470890494804404796214V E NOTARIAL TICKET Article 42 Notarial Act Not Applicable E NOTARIAL TICKET NOTRY ADVOCET E NOTARIAL TICKET 10 (Ten only) 710210210210

Statutory Alert:

- 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shrestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Govt. of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- 3. For more information, please refer to the website of the Competent Authority.

(प्रारूप - अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्षक और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप

हम श्री ओम प्रकाश (अध्यक्षक) एवं श्रीमती इन्द्रा शर्मा (सचिव) क्रमशः

(अध्यक्षक) एवं सचिव हिंदी शिक्षा समिति , वेस्ट अर्जुन नगर आगरा शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं :-

1. यह की हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा आर सी एस मेमोरियल कॉलेज ऑफ़ फार्मसी - एन -एच -11, सहारा -नानपुर आगरा नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है
2. यह की हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम (हिंदी शिक्षा समिति) , (पता जहां पर भूमि स्थित है) एन -एच -11, सहारा-नानपुर आगरा में गाटा संख्या 268,269 रकबा क्रमशः 0.5761 हेक्टेयर व 0.5186 हेक्टेयर (कुल रकबा) 1.0947 हेक्टेयर भूमि है ।
3. यह है की उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है ।
4. यह है की उपरोक्त पते पर सोसाइटी के आम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 268,269 रकबा क्रमशः 0.5761 हेक्टेयर व 0.5186 हेक्टेयर (कुल रकबा) 1.0947 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 02 जनवरी 2022 द्वारा पारित किया गया है ।
5. यह है की उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।
6. यह है की निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
7. यह है की इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया , ने दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा

HO सचिव
हिंदी शिक्षा समिति
वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा

ATTESTED
HIMALAYA PARASHAR
Advocate
Gazetted Officer
Civil Court AGP

HO अध्यक्षक

ओम प्रकाश

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मतीमति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



ह० सचिव
हिन्दी शिक्षा समिति
वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा

ATTESTED
HIMALAYA PARASHAR
23/6/23 Advocate
Gazetted Officer
Civil Court AGP

ह० अध्यक्ष

आम्र ५०।१।१